



Neutral Citation No.026:AHC:6927

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 2920 वर्ष 2025

संजय कुमार गुप्ता और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: धर्मेन्द्र कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.08.2025 के आदेश के अनुसरण में आज न्यायालय में निर्देशों की एक प्रति दायर की है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है। कार्यालय को तदनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"(1) प्रतिपक्षी संख्या-3, चकबंदी अधिकारी, सदर, जिला गाजीपुर को आदेश देने और निर्देश देने के लिए निदेश देने के लिए नियुक्तियों द्वारा धारा 9ए(2) यू.पी.सीएच अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ दिनांक 7.2.2025 को बहाली आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, प्रतिपक्षी संख्या-3, चकबंदी अधिकारी, जिला गाजीपुर को आदेश 9ए(2) यू.पी.सीएच अधिनियम के तहत मामला संख्या-544/833 (राज्य बनाम विश्वनाथ और अन्य) में पारित आदेश के खिलाफ 1.4.1972 को प्राथमिकता दी गई।



अधिनियम, मौजा सेवराई, परगना ज़मानिया, जिला गाजीपुर 7.2.2025 से लंबित है और इसके अलावा निजी प्रतिपक्षी को विवादित अराज़ी से याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली निर्धारित अवधि के भीतर यदि संभव हो तो 7.2.2025 को शीघ्रता से बहाली आवेदन के निपटान तक यथास्थिति बनाए रखने की कृपा करें।

4. स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर तर्क दिया है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 01.04.1972 के आदेश के खिलाफ, 07.02.2025 को एक अत्यधिक विलंबित बहाली आवेदन दायर किया गया है। इसके बाद 18.08.2025 को स्थगन आवेदन दायर किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि बहाली आवेदन में 04.11.2025 तिथि निर्धारित की गई थी।

5. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुख्य चुनाव लड़ने वाली पार्टियां गांव सभा और राज्य हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही डी.डी.सी. (आर) के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष मौजूद हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

6. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए एक निर्देश जारी किया जाता है।

7. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी, (प्रतिपक्षी संख्या-3) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपरोक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः, निर्णय लेना चाहिए।

8. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

9. मामले को अलग करने से पहले, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बहाली आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. स्थायी अधिवक्ता ने बताया है कि अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पहले से ही चकबंदी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि उक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।

12. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 12, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)